न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

वाद संख्या : 82/2018

जीवनी बाई पत्नि श्री राधेश्याम जाति माली निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां
...वादनी

♠ बनाम ♠

1. प्रभूलाल पुत्र श्रीकृष्ण जाति माली निवासी भटवाडा तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा
वकील प्रतिवादी कम 1 : श्री श्याम पारेता वगै0
दायरा दिनांक: 19.07.2018 निर्णय दिनांक : 06.11.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादनी ने प्रतिवादी कम 1 से जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 24.07.2015 विक्रेता के खाते की आराजी खसरा नं0 92 रकबा 1.54 है0, खसरा नं0 219 रकबा 1.21 है0, खसरा नं0 222 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 305 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 339 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 360 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 361 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 1148 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 1159 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 1162 रकबा 0.16 है0 कुल किता 10 रकबा 4.14 है0 वाके ग्राम भटवाडा तहसील मांगरोल में प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 77/520 का 4/15 वा हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण खाते का 77/1950 वा हिस्सा रकम एक लाख अस्सी हजार रूपये में क्रय किया था किन्तु वादनी के खाते रजिस्टर्ड विकय दिनांक 24.07.2015 के आधार पर इन्तकाल दर्ज नही कर बताया गया कि खसरा नं0 92 रकबा 1.54 है0 जिसमें प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा नियत था उसके द्वारा पूर्व में ही बेचान किया जा चुका है इस कारण रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर खसरा नं0 92 रकबा 1.54 है0 पर वादनी के नाम इन्तकाल दर्ज करना संभव नही है। वादनी द्वारा हल्का पटवारी से जानकारी चाहने पर जानकारी में आया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.07.2015 के आधार पर विक्रेता प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादनी को जिस हिस्से पर काबिज व दाखिल कराया है वह भूमि खसरा नं0 219 रकबा 1.21 है0 का हिस्सा है जो लगभग 0.16 है0 है। तथा उक्त आराजी खसरा नं0 219 पर मुताबिक दखल वादनी काबिज काश्त है। जिस पर वादनी स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करवाने की कानूनन अधिकारणी है। रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 24.07.2015 के आधार पर वादनी खरीद शुदा भूमि पर कब्जा काश्त होने के बावजूद राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज नही की जा रही है। वादनी द्वारा खरीदशुदा भूमि पर कब्जा अनुसार खसरा नं0 92 रकबा 1.54 है0 जो पूर्व में विकय पत्र निष्पादन दिनांक 24.07.2015 से पहले बेचान कर देने से वादनी अपनी कय शुदा हिस्सा आराजी खसरा नं0 219 रकबा 1.21 है0 में से प्रतिवादी कम 1 के हिस्से से 0.16 है0 भूमि पर स्वयं को खातेदार दर्ज करवाने की कानूनन अधिकारणी है। अतः मुताबिक रजिस्टर्ड

के दिनांक 24.07.2015 हिस्सा प्रतिवादी कम 1 विक्रेता प्रभूलाल के नाम दर्ज आराजी खाता संख्या 371 कुल किता 10 रकबा 4.14 है0 वाके ग्राम भटवाडा में से खसरा नं0 219 रकबा 1.21 है0 जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 11/52 अंकित है में से हिस्सा 8/13 वा अर्थात सम्पूर्ण खसरे का हिस्सा 22/169वा लगभग 0.16 है0 का खातेदार वादनी को घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 19.07.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण कम 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम पारेता ने दिनांक 24.09.2018 को वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण कम 1 द्वारा दिनांक 24.09.2018 को जवाब दावा प्रस्तुत किया। जवाब दावा अनुसार प्रतिवादी कम 1 द्वारा वाद पत्र की समस्त मद स्वीकार की है एवं निवेदन किया है कि वादनी के हम तक वाद स्वीकार है एवं वादनी द्वारा कय की गयी आराजी मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.07.2015 हिस्सा प्रतिवादी कम 1 विक्रेता प्रभूलाल के नाम दर्ज आराजी खाता संख्या 371 कुल किता 10 रकबा 4.14 है0 वाके ग्राम भटवाडा में से खसरा नं0 219 रकबा 1.21 है0 जिसमें प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 11/52 अंकित है में से हिस्सा 8/13 वा अर्थात सम्पूर्ण खसरे का हिस्सा 22/169वा लगभग 0.16 है0 का खातेदार वादनी को घोषित किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही है। पत्रावली में वादनी जीवनी बाई पत्नि राधेश्याम के बयान कराये गयें। जिसके अनुसार निवेदन किया कि खसरा नं0 219 की 1.21 है0 में से 0.16 है0 भूमि पर काबिज काश्त हूं अतः मुझे खसरा नं0 219 रकबा 1.21 है0 में से 0.16 है0 भूमि का खातेदार घोषित किया जावें। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत 2070–2073 प्रदर्श–1, नजरी नक्शा प्रदर्श–2 व विकय पत्र दिनांक 24.07.2015।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। प्रकरण में दिनांक 06.11.2018 को वादी के अधिवक्ता व प्रतिवादी कम 1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। सुनी गयी बहस, प्रस्तुत दस्तावेज तथा वादी व प्रतिवादी कम 1 द्वारा इकबालिया जवाब के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम भटवाडा तह0 मांगरोल जिला बारां कि आराजी खसरा नं0 219 रकबा 1.21 है0 में से 0.16 है0 जिस पर वादनी वर्तमान में काबिज काश्त है का खातेदार कृषक वादनी को घोषित किया जाता है। तहसीलदार मांगरोल को उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर

निर्णय आज दिनांक 06.11.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया ग

रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के आधार पर खसर